दूरभाष : कार्यालय : 0755-2559537
फैक्स : कार्यालय : 0755-2550972
ई-मेल : prirevcom@mp.gov.in
prcbhopal@gmail.com

कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश

राजस्व भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

क्रमांक एफ /ग्रामीण/ प्रराआ/2016/9276 भोपाल, दिनांक 22.12.2016

प्रति,

समस्त तहसीलदार
समस्त नायब तहसीलदार
समस्त नायब तहसीलदार के रूप कार्यरत सशक्त राजस्व निरीक्षक
मध्यप्रदेश

विषयः— **नामांतरण/बंटवारा के अविवादित प्रकरणों को विवादित में परिवर्तित करने एवं नामांतरण/बंटवारा एवं धारा—250 के प्रकरणों में आवेदक के विरूद्ध किए गए निर्णयों की मासिक जानकारी।**

——0——

यह देखा गया है कि तहसीलदार/ नायब तहसीलदार उचित एवं पर्याप्त कारण के बिना अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के मामलों को विवादित दर्शाकर विवादित प्रकरण दर्ज कर लेते हैं। जबकि प्रत्येक नामांतरण / बंटवारा प्रारंभ में अविवादित होता है तथा उसमें कोई आपत्ति/विवाद उत्पन्न हो तभी विवादित में परिवर्तित होता है।

2. यह भी देखा गया है कि नामांतरण/बंटवारा एवं धारा—250 के प्रकरणों में बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कारण के आवेदक के आवेदन को अस्वीकार कर प्रकरण को निरस्त कर दिया जाता है, जिससे प्रकरण में अपील अथवा रिवीजन की प्रक्रिया होने से पक्षकार एवं वरिष्ठ न्यायालय का समय नष्ट होता है।

3/ उपरोक्त स्थिति उचित नहीं है अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय की प्रत्येक माह उक्त विषयों पर मासिक समीक्षा की जाए। इस हेतु विकसित किये गये कुल 5 प्रपत्र संलग्न हैं, जिसमें प्रत्येक तहसीलदार/नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा केवल अविवादित नामान्तरण / बंटवारा प्रकरणों को विवादित में परिवर्तित करने एवं नामांतरण / बंटवारा एवं धारा 250 के आवेदक /प्रकरण निरस्त करने की जानकारी आगामी माह के 5 तारीख के पूर्व ई—मेल prctahsildar@gmail.com (तहसीलदारों के लिए) तथा prcnaibtahsildar@gmail.com (नायब तहसीलदारों के लिए) पर अनिवार्य रूप से भेजी जाये। इसकी समीक्षा प्रत्येक माह की जावेगी तथा यदि यह

पाया जाता है कि नामांतरण/बंटवारा के अविवादित प्रकरणों को उचित एवं पर्याप्त कारणों के बिना विवादित में परिवर्तित किया गया है तथा नामांतरण/बंटवारा /भूमि स्वामी की भूमि पर अवैध कब्जा (धारा 250) के आवेदनों/प्रकरणों को उचित एवं पर्याप्त कारणों के बिना निरस्त किया गया है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कदाचरण की उपधारणा की जावेगी तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कृपया इसे गंभीरता से लें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

21/12/16
(के.के. खरे)
प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 22.12.2016

क्रमांक एफ /ग्रामीण/प्रराआ/2016/9277

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश। कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाकर प्रति माह समीक्षा कर अवगत कराने का कष्ट करें।
4. समस्त अपर कलेक्टर मध्यप्रदेश।
5. समस्त अनुविभागीय अधिकारी मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21/12/16
प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

न्यायालय का नाम ....
पीठासीन अधिकारी का नाम ....

जिला.................. तहसील ....

माह........... वर्ष..............

प्रपत्र (1)

<u>अविवादित नामांतरण प्रकरणों को विवादित में परिवर्तित करने की जानकारी</u>

माह में अविवादित नामांतरण आवेदन/प्रकरणों का विवरणः–

क.	प्रकरण कमांक	पक्षकारों का नाम	आदेश दिनांक	अविवादित को विवादित में परिवर्तित करने का कारण

न्यायालय का नाम ....
पीठासीन अधिकारी का नाम ....

जिला.................. तहसील ....

माह........... वर्ष..............

प्रपत्र (2)

<u>निरस्त नामांतरण प्रकरणों की जानकारी</u>

माह में निरस्त किए गए नामांतरण आवेदन/प्रकरणों का विवरणः–

क.	प्रकरण कमांक	पक्षकारों का नाम	आदेश दिनांक	आवेदन/ प्रकरण निरस्त करने का संक्षिप्त कारण

न्यायालय का नाम ....
पीठासीन अधिकारी का नाम ....

जिला.................. तहसील ....

माह........... वर्ष..............

प्रपत्र (3)

<u>अविवादित बंटवारा प्रकरणों को विवादित में परिवर्तित करने की जानकारी</u>

माह में अविवादित बंटवारा आवेदन/प्रकरणों का विवरणः–

क.	प्रकरण कमांक	पक्षकारों का नाम	आदेश दिनांक	अविवादित को विवादित में परिवर्तित करने का कारण

न्यायालय का नाम ....
पीठासीन अधिकारी का नाम ....

जिला.................. तहसील ....

माह........... वर्ष..............

प्रपत्र (4)

निरस्त बंटवारा प्रकरणों की जानकारी

माह में निरस्त किए गए बंटवारा आवेदन/प्रकरणों का विवरणः–

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारों का नाम	आदेश दिनांक	आवेदन/ प्रकरण निरस्त करने का संक्षिप्त कारण

न्यायालय का नाम ....
पीठासीन अधिकारी का नाम ....

जिला.................. तहसील ....

माह........... वर्ष..............

प्रपत्र (5)

भूमिस्वामी को अवैध कब्जे से मुक्ति (धारा–250) एवं कब्जा दिलाने संबंधी निरस्त आवेदन/ प्रकरणों की जानकारी

माह में अवैध कब्जे से मुक्ति (धारा–250) एवं कब्जा दिलाने संबंधी निरस्त आवेदन/प्रकरणों का विवरणः–

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारों का नाम	आदेश दिनांक	प्रकरण/ आवेदन निरस्त करने का संक्षिप्त कारण